

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

मदन लाल बत्रा बनाम राजस्थान राज्य।
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-3161/1997)

31.03.2010

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

सुश्री शीतल मिर्धा अधि. वास्ते श्री आलोक शर्मा अधि. प्रार्थी की ओर से।
श्री एस.डी.खासपुरिया, अति.राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुश्री शीतल मिर्धा का कथन है कि यह रिट याचिका प्रभावशून्य हो चुकी है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुश्री मिर्धा के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए यह रिट याचिका प्रभावशून्य हो जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.